न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,

पीठासीन अधिकारीः– सुभाष चन्द्र

(आर.ए.एस.)

वाद सं. 170/24

सीएमएसः– 2024/378

1. शिब्बो पुत्री स्व. श्री साधू सिंह पत्नी श्री भोला सिंह जाति मजहबी निवासी 8 एस.टी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज0) –: वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। –: प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 125–136 एलआरएक्ट,</u>

तारीख रजू:– 03.12.2024

उपस्थितः 1. श्री राजेन्द्र सेखों अधि. वादी।
2. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी

—निर्णय— दिनांक :–30.01.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से चक 1 बी.डब्लयू.एम. (ए) तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 29/28 में पत्थर नं0 292/349 मु0नं0 7 की 3.844 है0 कमाण्ड एवं पत्थर नंबर 292/350 मु0नं0 21 की 3.567 है0 कमाण्ड मय खाला कुल खाता योग 7.486 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी में वादीया का 453/7486 विरास्तन हिस्सा अर्थात 0.453 है0 रकबा खातेदारी है। वादीया का सही वास्तविक नाम शिब्बो ही है और यहीं नाम वादीया के अधिकाशंतः व्यक्तिगत मतदाता पहचान–पत्र, परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, यूनिक कार्ड, बैंक पास बुक, जॉब कार्ड इत्यादि में दर्ज है। मगर बोलचाल की भाषा में परिवार का कोई व्यक्ति वादीया को शिब्बो व कोई नसीब कौर के नाम से पुकारने के वादीया को इन दोनो नामों मिलते–जुलते नामों से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है. ये दोनो नाम वादीया के ही है अलग–अलग महिला के नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत 8 एस.टी.बी. द्वारा जारी प्रगाण पत्र भी है उपरोक्त रकबा वादीया को विरास्तन में प्राप्त है। सहबन वादीया का नाम व्यक्तिगत दस्तावेज में प्रचलित सही नाम शिब्बो की बजाये नसीब कौर विरास्ततन अंकन करते समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया। मगर वादीया का सही व वास्तविक नाम शिब्बो उसके व्यक्तिगत व लोक दस्तावेजात में दर्ज होने से वादीया को आईन्दा भूमि पर किसान केडिट कार्ड जारी करवाने, हस्तान्तरण करने, ऋण आदि लेने व अन्य सरकारी योजनाओं व अनुदान आदि का लाभ लेने में भारी दिक्कते व परेशानिया उठानी पड़ेगी वा लाभ प्राप्ति से वंचित होने का अन्देशा रहेगा। इसके अलावा वादीया के वारिसान को भी भविष्य में भारी परेशानियां उठानी पडेगी ओर उनके नाम भूमि अन्तरित होने में परेशानी होगी। इसलिये वादीया अपने नाम की दुरूस्ती करवाते हुये राजस्व अभिलेखों में अपना सही नाम दर्ज करवा पाने की कानूनन अधिकारी है। वादीया अनपढ ग्रामीण महिला है उसे रिकॉर्ड की जरूरत होने पर जमाबन्दी प्राप्त कर अवलोकन करने पर उक्त गलती का ज्ञान होने पर वादीया ने प्रतिवादी से बमुकाम रायसिंहनगर सम्पर्क कर जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में दुरुर्स्ती का अनुरोध करने पर प्रथमतः टालमटोल करते हुये अंत[illegible] को यह कहकर दुरूस्ती से इंकार कर दिया कि न्यायालय के डिक्री/आदेश से [illegible] हो सकेगी। यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखा[illegible] अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा [illegible] चारा शे[illegible] रहा है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार [illegible] अंदर मियाद [illegible] पेश है। वाद वादीया पेश कर निवेदन है कि वाद वादीया [illegible] वादीया खिलाफ प्रतिवादी [illegible] से डिकी सादिर फरमाया जाकर वाके चक 1 बी.डब्लयू.एम. (ए) तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 29/28 में पत्थर नंबर 292/349 मुरब्बा नंबर 7 की 3.844 है0 कमाण्ड एवं पत्थर नंबर 292/350 मुरब्बा नंबर 21 की 3.567 है0 कमाण्ड मय खाला कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

खाता योग 7.486है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी में वादीया का 453/7486 विरास्तन हिस्सा अर्थात 0.453है0 रकबा खातेदारी है, वादीया का सही व वास्तविक नाम शिब्बो ही है। घोषणात्मक डिकी अनुसार राजस्व अभिलेखों व वर्तमान जमाबन्दी में वादीया के नाम की दुरूस्ती करते हुये 'नसीब कौर' के स्थान पर 'शिब्बो' विकल्प में वादीया के नाम 'नसीब कौर' के स्थान 'शिब्बो उर्फ नसीबकौर' दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी सं. 1 को फरमावें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर को मौका रिपोर्ट के लिए पत्र जारी किया गया कि सरकार की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/6044 दिनांक 28.10.2026 मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 22 पीटीडी के रिपोर्ट अनुसार रिकार्ड जमाबंदी चक 1 बीडब्ल्यूएमए प्रार्थीया का नाम नसीब कौर पुत्री साधू सिंह जाति मजहबी साकिन देह खातेदार दर्ज है जो कि विरास्तन नामनान्तरण से दर्ज हुआ है। मौका पर रिपोर्ट घटना बही व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार नसीब कौर पुत्री साधू सिंह का घर प रनाम शिब्बो पुत्री साधू सिंह है। इसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में नसीब कौर दर्ज हो गया है। नसीब कौर व शिब्बो एक ही महिला के नाम है। जबकि सही नाम शिब्बो है। अतः प्रार्थीया नाम राजस्व रिकॉर्ड में शिब्बों उर्फ नसीब कौर पुत्री साधू सिंह 453/7486 हिस्सा जाति मजहबी साकिन देह खातेदार किया जाना उचित है। रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

3. वादिया शिब्बों ने साक्ष्य वास्ते शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके चक 1 बी.डब्लयू. एम. (ए) तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 29/28 में पत्थर नंबर 292/349 मुरब्बा नंबर 7 की 3.844 है0 कमाण्ड एवं पत्थर नंबर 292/350 मुरब्बा नंबर 21 की 3.567है0 कमाण्ड मय खाला कुल खाता योग 7.486है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी में मिकरा का 453/7486 विरास्तन हिस्सा अर्थात 0.453है0 रकबा खातेदारी है। मिकरा का सही वास्तविक नाम शिब्बो ही है और यहीं नाम मिकरा के अधिकांशतः व्यक्तिगत दस्तावेजात मतदाता पहचान–पत्र, परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, यूनिक कार्ड, बैंक पास बुक, जॉब कार्ड को प्रदर्श 1–8 इनकी चिप्रति प्रदर्श– 1(**A**) ता 8(**A**) पेश किये है। परिवार के कुछ नाम से पुकारते थे मेरा पीहर का नाम नसीब कौर व ससुराल पक्ष वाले मुझे शिब्बों के नाम से पुकारने लगे और शिब्बों के नाम से ही मेरे सारे दस्तावेज तैयार हुए शिब्बों व नसीबकौर दोनों नाम मेरे ही है।

4. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में संलग्न पहचान दस्तावेज, वाद पत्र, शपथ पत्र आदि का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका जांच रिपोर्ट की अनुशषा व वादी के द्वारा साक्ष्य में प्रदर्श दस्तावेजों के तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद पत्र वादीगण अंतर्गत धारा 188आरटीएक्ट एवं 136–125 राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड के वाके चक 1 बी.डब्लयू.एम. (ए) तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 29/28 में पत्थर नंबर 292/349 मुरब्बा नंबर 7 की 3.844 है0 कमाण्ड एवं पत्थर नंबर 292/350 मुरब्बा नंबर 21 की 3.567है0 कमाण्ड मय खाला कुल खाता योग 7.486है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी में [illegible] हिस्सा अर्थात 0.453है0 रकबा खातेदारी भूमि में नसीबकौर पुत्री साधूसिंह के [illegible] शिब्बों उर्फ नसीबकौर पुत्री साधुसिंह दुरूस्ती किये जाने के आदेश [illegible] अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का [illegible] पर्चा डिक्री [illegible] एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्राव[illegible] होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ [illegible] जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

{सुभाषचन्द्र}
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

यि आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ रायसिंहनगर ★

{सुभाषचन्द्र}
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:54 IST
Reason: SelfAttested